समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के आलोक में माननीय सदस्य विधान सभा श्रीमती नीता चौधरी, तारापुर विधानसभा क्षेत्र द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित योजनाओं का प्राक्कलन तकनीकि स्वीकृति के पश्चात कार्यपालक अभियता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 1107 दिनांक 04.09.2014 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए है।

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत ट्रान्सफार्मर लगाए जाने से संबंधित विभिन्न पत्रों द्वारा प्राप्त निदेशों में अंकित शर्त्तो के अधीन इन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है तथा कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मुंगेर (साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड) को कार्यकारी एजेन्सी नामित किया जाता है। इनके कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर, कम्पनी को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत राशि उपलब्ध करायेंगे।

क्र0	योजना का नाम	प्रखण्ड	प्राक्कलन संख्या	तकनीकि स्वी0 राशि	प्रशासनिक स्वी0 राशि	MMKVY अन्तर्गत अंशदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	तारापुर प्रखंड अन्तर्गत गनैली पंचायत के हसनपुर में ट्रांसफार्मर (16 के0भी0ए0 के स्थान पर 63 के0भी0ए0)	तारापुर	201	271889.00	271889.00	125000.00
2	टेटियाबम्बर प्रखंड के ग्राम मिल्की में शिशिर बाबू घर के पास ट्रांसफार्मर (16 के0भी0ए0 के स्थान पर 63 के0भी0ए0)	टेटिया बम्बर	196	192913.00	192913.00	125000.00
3	संग्रामपुर प्रखंड के अलीगंज मुशहरी में ट्रांसफार्मर (16 के0भी0ए0 के स्थान पर 63 के0भी0ए0)	संग्रामपुर	203	278759.00	278759.00	125000.00
4	तारापुर प्रखंड के नवादा ग्राम में ट्रांसफार्मर (16 के0भी0ए0 के स्थान पर 63 के0भी0ए0)	तारापुर	205	249389.00	249389.00	125000.00
5	तारापुर प्रखंड के कमरगामा ग्राम में अनिरूद्ध पासवान के घर से शंकर चौधरी के घर तक पोल एवं तार तथा इमली गाछ के पास ट्रांसफार्मर (16 के0भी0ए0 के स्थान पर 63 के0भी0ए0)	तारापुर	204	208727.00	208727.00	125000.00
6	संग्रामपुर प्रखंड के दुरमट्टा दक्षिण टोला में ट्रांसफार्मर (16 के0भी0ए0 के स्थान पर 63 के0भी0ए0)	संग्रामपुर	185	197755.00	197755.00	125000.00
7	ह0 खड़गपुर प्रखंड के मुरादे पंचायत के ग्राम कौशलपुर में ट्रांसफार्मर (16 के0भी0ए0 के स्थान पर 63 के0भी0ए0)	ह0 खड़गपुर	198 .	200286.00	200286.00	125000.00
8	ह0 खड़गपुर प्रखंड के रमनकाबाद पश्चिमी पंचायत में ग्राम बड़की हथिया साहु टोला में ट्रांसफार्मर (16 के0भी0ए0 के स्थान पर 63 के0भी0ए0)	ह0 खड़गपुर	195	202937.00	202937.00	125000.00
			योग–	1802655.00	1802655.00	1000000.00

अंशदान की कुल राशि मो0–10,00,000.00 (दस लाख) रू0 मात्र।

सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 3038 दिनांक 18.07.2014 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में स्तम्भ 07 में अंकित अंशदान की कुल राशि मो0–10,00,000.00 (दस लाख) रू0

एकमुश्त कार्यकारी एजेंसी को विमुक्त की जाती है। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर अंशदान की एकमुश्त राशि पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर कार्यान्वियन एजेंसी को लेखा हस्तांतरण/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

कार्यान्वयन एजेन्सी, कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर (साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड) अग्रलिखित शर्त्तो के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वियन करायेंगे।

शर्त्ते–

1. कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मुंगेर (साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका तथा समय–समय पर इस संबंध में विभाग द्वारा निर्गत पत्रों के माध्यम से प्राप्त निदेशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
2. कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप करायेंगे एवं योजना का कार्यान्वियन तीन माह के अन्दर कराना सुनिश्चि करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
3. राशि का संधारण एवं व्यय बिहार वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
4. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयन्त्र नही होगा।
5. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्कलित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।
6. योजना का कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख मे रखा जाय। इसी प्रकार एक रंगीन फोटो कार्य के मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।
7. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
8. योजना स्थल किसी अन्य विभाग की भूमि हो तो कार्यकारी एजेंसी उस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही योजना का कार्य प्रारंभ करायेगे।
9. योजना का कार्य पूर्ण होने के उपरांत संबंधित कार्यपालक अभियंता, (विद्युत) द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
10. योजना के पूर्ण होने के पश्चात् योजना से संबंधित वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन कम्पनी द्वारा अधोहस्ताक्षरी एवं कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे।
11. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पूर्व में व्यय की गई राशि का ब्यौरा कार्यकारी एजेंसी अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।
12. संबंधित विधान मंडल सदस्य से योजनाओं के शिलान्यास/उदघाटन में विभागीय निदेशो का अनुपालन करेंगे।

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 490 / जि0यो0, दिनांक 10/9/14

प्रतिलिपि–	कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि–	कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि–	जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–	क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ।
प्रतिलिपि–	संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ।
प्रतिलिपि–	श्रीमती नीता चौधरी, माननीय स0वि0स0, तारापुर विधानसभा क्षेत्र को सादर सूचनार्थ।

10/9/14

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।